न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

अपील संख्या : 17 / 2021

1. रतन लाल पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–गुर्जर, निवासी–जिलोई, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. शंकर लाल पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–गुर्जर, निवासी–जिलोई, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. बंशी देवी पत्नी श्री श्यामलाल पुत्री स्व0 श्री काना, जाति–गुर्जर, निवासी–धोबलाई, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
4. माना देवी पत्नी श्री गोपाललाल पुत्री स्व0 श्री काना, जाति–गुर्जर, निवासी–जेसलिया रोड नं0 17, वीकेआई एरिया, जयपुर।
5. मनभर देवी पत्नी श्री बाबूलाल पुत्री स्व0 श्री काना, जाति–गुर्जर, निवासी–कांट कालवाड, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
6. विमला देवी पत्नी श्री पप्पूलाल पुत्री स्व0 श्री काना, जाति–गुर्जर, निवासी–कालवाड तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री रामनारायण, जाति–मीणा, निवासी–जिलोई, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. रामस्वरूप पुत्र श्री रामनारायण, जाति–मीणा, निवासी–जिलोई, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. गोपाल पुत्र श्री नोन्दा, जाति–गुर्जर, निवासी–जिलोई, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. जगदीश पुत्र श्री नोन्दा, जाति–गुर्जर, निवासी–जिलोई, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार, मुण्डोता, उप–तहसील जालसू, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय / आदेश उप–तहसीलदार, मुण्डोता दिनांक 06.03.2020)

उपस्थितः–
1. श्री सुरेश कुमार चाहर, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री राकेश शेखावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री महादेव राम जाट, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 की ओर से।
4. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.12.2021**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खाता सं0 111 के ख0नं0 119, 127, 130, 131, 131 / 546, 132 / 552, 132 / 607, 133, 134, 135, 136, 146 / 545, 146 / 553, 146 / 554 कुल किता 14 कुल रकबा 4.67 हे0 भूमि के आपसी सहमति से हुए विभाजन पर उप–तहसीलदार, मुण्डोता द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध पेश की गई है।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय उप–तहसीलदार, मुण्डोता से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस में अंकित तथ्यों के अनुसार कथन किया कि ग्राम जिलोई की वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 4.67 हे0 भूमि के अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सहखातेदार है। जिसमें अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 4 का हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज व अंकित था। वादग्रस्त भूमि के विभाजन के बाबत् रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति के आधार पर एक प्रार्थना पत्र उप–तहसीलदार, मुण्डोता के समक्ष प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के विभाजन का अनुरोध किया। जिसमें हाल अपीलान्ट्स के पिता स्व0 काना के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन एवं आदेश में पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा सांठ–गांठ कर अपीलान्ट्स के पिता की बिना सहमति के भूमि का बनावटी एवं मनमर्जी के आधार पर वादग्रस्त आदेश जारी कर दिया। उक्त आदेश की अपीलान्ट्स को दिनांक 06.03.2020 से पूर्व जानकारी नही थी ना ही अपीलान्ट्स की सहमति से तकासमा किया गया है।

उप–तहसीलदार, मुण्डोता द्वारा विभाजन के समय इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही किया कि मौके पर वादग्रस्त भूमि का मनबंट तकासमा हो रखा है तथा सभी पक्षकार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर पक्के मकान बने हुए है व सभी पक्षकार अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। चाहे विभाजन न्यायालय के द्वारा हो अथवा आपसी सहमति के अनुसार हो। पक्षकारों को जो रकबा प्राप्त होगा वह जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मुख्य रास्ते/सडक पर दिया जाना आवश्यक होता है, परन्तु वादग्रस्त आदेश द्वारा अपीलान्ट को दर्ज हिस्से के विपरीत बिना सहमति के मुख्य सडक पर भूमि नही देकर पीछे की ओर भूमि दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के उपनियम 20 का उल्लघंन करते हुए बंटवारे में मुख्य सडक पर कम हिस्से को सही मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को लाभ पहुचाते हुए विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। हाल अपीलान्ट के स्व0 पिता ना तो उप–तहसीलदार, मुण्डोता के समक्ष उपस्थित हुए ना ही उनकी सहमति से बंटवारा किया गया है। बिना पक्षकारो की उपस्थिति के बंटवारा नही हो सकता है। बंटवारें की तथाकथित रिपोर्ट पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नही है तथा बंटवारानामें में जो स्टाम्प लगा हुआ है वह दिनांक 19.02.2020 का जो रेस्पोडेन्ट सं0 2 का दिया हुआ है। यदि अपीलान्ट्स के पिता एवं सहखातेदारों की सहमति होती तो स्टाम्प पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होते। यहां यह भी अवलोकनीय है कि स्टाम्प इकरारनामें के लिए लिया गया है ना कि बंटवारें के लिए। बंटवारा बिना सहमति के करवाया गया है। वादग्रस्त बंटवारें में रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पुत्र प्रमोद को गवाह बनाया गया है, जो उप–तहसील में राज्य कर्मचारी है। जिसके द्वारा अन्य कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर विधि–विरूद्ध आदेश पारित कराया गया है। अपीलान्ट्स के पिता स्व0 श्री काना लगभग 20 वर्षो से अन्धे थे, जिन्हे कुछ भी दिखाई नही देता था। विभाजन आदेश में अपीलान्ट्स के पिता के जो हस्ताक्षर है वे कूटरचित एवं फर्जी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः उप–तहसीलदार, मुण्डोता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त किया जावें। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.06.2021 को हुई, जिसके पश्चात् नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 18.06.2021 को ही प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अतः मामला गंभीर प्रकृति का होने तथा प्रार्थीगण/अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार निहित होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रकरण को अन्दर मियाद शुमार मानते हुए अपील स्वीकार करते हुए उप–तहसीलदार, मुण्डोता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर जिला–जोधपुर सत्यमेव जयते

रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 4 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज व अंकित था। वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु सभी पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एक प्रार्थना पत्र उप–तहसीलदार, मुण्डोता के समक्ष प्रस्तुत कर विभाजन का अनुरोध किया। अपीलान्ट्स द्वारा सहमति के आधार पर हुए विभाजन को अपीलान्ट्स के पिता स्व0 काना के फर्जी हस्ताक्षर होना बताकर वादग्रस्त आदेश को चैलेंज करते हुए हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया है। जबकि वादग्रस्त भूमि के सदर्भ में सभी खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से विभाजन हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था तथा तहसीलदार के समक्ष सहमति के बंटवारें को सही होना स्वीकार करने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् विभाजन के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट्स के पिता स्व0 काना द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त सहमति के बंटवारें के संबंध में कभी कोई आपत्ति नही की। इसलिए अब उनके वारिसान को कोई आपत्ति करने का अधिकार नही है। वादग्रस्त सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त खातेदारों द्वारा विवादित सम्पति को बैंक के समक्ष रहन कर उस पर ऋण भी प्राप्त किया जा चुका है।

अपीलान्ट्स द्वारा राजीनामें के आधार पर सहमति से किये गये बंटवारें के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। धारा 96 जाब्ता दिवानी की उपधारा 3 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पक्षकारों की सहमति से पारित निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नही की जा सकती है। राजीनामें के आधार पर पारित निर्णय को यदि किसी प्रकार की विधिक विसंगतता के आधार पर पारित किया गया है तो उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन कर राजीनामें की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है। अपीलान्ट्स द्वारा राजीनामें पर फर्जी हस्ताक्षर होना अंकित किया है, परन्तु काना के फर्जी हस्ताक्षर हो ऐसा कोई स्वयं के स्तर पर अथवा एफ.एस.एफ की जांच रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नही की है। ऐसे मे स्वयं सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सहमति के विरूद्ध किसी प्रकार की उपधारणा किया जाना उचित नही है। आपसी सहमति के बंटवारें में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स पक्षकार के रूप में संयोजित नही थे। अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त आदेश को चुनौती दिये जाने की कोई विधिक अनुमति प्राप्त नही की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर है, परन्तु अपीलान्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में देरी के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नही किया है। केवल यह कथन किये जाने से की उन्हे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.06.2021 को सर्वप्रथम हुई। उक्त तिथी के सही होने की उपधारणा नही की जा सकती। जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों की सहमति के आधार पर हुए विभाजन के आधार पर ना केवल राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जा चुका है, बल्कि अंकित रिकार्ड के आधार पर बैंक में भूमि हिस्से अनुसार रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया जा चुका है।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के उपनियम 20 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना ध्यान पूर्वक अवलोकन किये निर्णय पारित किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपनियम 20 में राजीनामें के आधार पर तहसीलदार के द्वारा पारित निर्णय पर यह नियम लागू नही होता है, बल्कि न्यायालय के द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय पर लागू होता है। जिसमें भी केवल सम्पत्ति की कीमत समान होने का अंकन किया है। रकबा पूर्ण रूप से समान रूप से करने का कोई प्रावधान नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के उपनियम 1 के अनुसार काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार विभाजन के स्पष्ट प्रावधान अंकित है। जिसके अनुसार ही वादग्रस्त आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके पिता स्व0 काना कभी उप–तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नही हुए। जबकि तहसीलदार के द्वारा खातेदारो के स्वयं के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये

जाने का कथन किया गया है। ऐसे में रिकार्डेड लिखित कथनों के विरूद्ध किये गये कथन बिना किसी सक्षम साक्ष्य के स्वीकार योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का पुत्र उप तहसील में राज्य कर्मचारी होने का कथन मिथ्या है। आपसी सहमति से अपीलान्ट्स के पिता एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र में कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नही है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जावें तथा अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जिलोई की वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 4.67 हे0 भूमि के अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सहखातेदार है। जिसमें अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 4 का हिस्सा 1/3 व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज व अंकित था। वादग्रस्त भूमि के विभाजन के बावत् रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति के आधार पर एक प्रार्थना पत्र उप–तहसीलदार, गुण्डोता के समक्ष प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के विभाजन का अनुरोध किया। जिसमें हाल अपीलान्ट्स के पिता स्व0 काना के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन एवं आदेश में पटवारी हल्का एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा सांठ–गांठ कर अपीलान्ट्स की बिना सहमति के भूमि का बनावटी एवं मनमर्जी के आधार पर वादग्रस्त आदेश जारी कर दिया।

रेस्पोडेन्ट सं 3 व 4 के अधिवक्ता ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विभाजन आदेश में उनके पक्षकारों की सहमति बताई जा रही है, जो गलत है। क्योंकि हाल रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा उनके पक्षकारान के घर आकर कहा कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के एच.पी. का पेट्रोल पम्प आवंटन हुआ है, परन्तु विवादित भूमि शामलाती भूमि है। जिसमे कानूनी तकासमा नही हुआ है। इसलिए बिना सहमति के वादग्रस्त भूमि पर पेट्रोल पम्प नही लग सकता है। इसलिए हमें पेट्रोल पम्प लगाने की सहमति दे दो यह कहते हुए रेस्पो. सं0 3 व 4 से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने उप–तहसीलदार, गुण्डोता से सांठ–गांठ कर बिना रेस्पो. सं0 3 व 4 की उपस्थित व बिना सहमति से अपीलाधीन बंटवारा कर लिया। मौके पर वादग्रस्त भूमि का मनवंट तकासमा हो रखा है तथा सभी पक्षकार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है व पक्के मकानों में परिवार सहित निवास कर रहे है।

चाहे विभाजन न्यायालय के द्वारा हो या आपसी सहमति के अनुसार हो। पक्षकारों को जो रकबा प्राप्त होगा व जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मुख्य रास्ते/सड़क पर हिस्सा दिया जाना आवश्यक होगा, परन्तु अपीलाधीन आदेश में जमाबंदी व दर्ज हिस्से के विपरीत मुख्य सड़क पर भूमि नही देकर पीछे की ओर भूमि दी है। जिसकी सहमति रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 द्वारा नही दी गई थी। उप–तहसीलदार, गुण्डोता के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 के स्व0 पिता काना ना तो उप–तहसीलदार, गुण्डोता के समक्ष पेश हुए ना ही कभी आपसी सहमति से बंटवारा करवाया गया। वादग्रस्त बंटवारें की तथाकथित मौका रिपोर्ट पर रेस्पो. सं0 3 व 4 के हस्ताक्षर नही है बंटवारेनामें में जो स्टाम्प लगा हुआ है वह दिनांक 19.02.2020 का ज़ो रेस्पोडेन्ट सं0 2 का दिया हुआ है। यदि अपीलान्ट्स के पिता एवं सहखातेदारों की सहमति होती तो स्टाम्प पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर होते। उप–तहसीलदार के समक्ष दिनांक 05.03.2019 को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी पक्षकार का नाम नही है। केवल नीचे हस्ताक्षर है, जिससे यह जाहिर होता है कि बंटवारा बिना सहमति के करवाया गया है। वादग्रस्त बंटवारें में रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पुत्र प्रमोद को गवाह बनाया गया है, जो उप–तहसील में राज्य कर्मचारी है। जिसके द्वारा अन्य कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर विधि–विरूद्ध आदेश पारित कराया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः उप–तहसीलदार, गुण्डोता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। मूल बंटवारेंनामें का भी अवलोकन किया। मूल बंटवारेंनामें में पक्षकारों के हस्ताक्षरों में से किसी भी

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर
सत्यमेव जयते

स्थान पर काना के हस्ताक्षर होना नही पाये गये है, बल्कि काना की अगूंठा निशानी होना पाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 4 का यह कथन है कि बंटवारेंनामें में उनके पिता जो कि अंधे थे के हस्ताक्षर कूटरचित एवं फर्जी है, इसके संबंध में कोई साक्ष्य एवं सबूत पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः यह कथन निराधार होना पाया गया है। जहां तक बंटवारेंनामें में भूमि के विभाजन का प्रश्न है बंटवारानामा सहमति के आधार पर सभी पक्षकारों द्वारा बंटवारेनामें पर अपने–अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी कर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया था। बंटवारेंनामें पर सभी पक्षकारान के फोटो भी चस्पा किये गये है। इस प्रकार हमारे विचार से यह सही नही है कि बंटवारानामा आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। यदि विभाजन पत्र गलत रूप से स्वीकार किया गया था अथवा बनाया गया था तो तत्समय स्व0 श्री काना के जीवनकाल में ही आपत्ति की जानी चाहिए थी। स्व0 श्री काना द्वारा ऐसी कोई आपत्ति की गई है, इसके संबंध गें कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। बंटवारानामा पक्षकारान द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्रस्तुत किया गया था। जिसे दिनांक 06.03.2020 को उप–तहसीलदार, मूण्डोता द्वारा सहमति के आधार पर बंटवारानामा पेश करने पर स्वीकार किया गया है। दिनांक 06.03.2020 को हुए आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 22.06.2021 को इस न्यायालय में अपील पेश की गई है। अपील के साथ मियाद अधिनियम के अन्तर्गत धारा 05 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। जिसमें अपीलान्ट्स द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 18.06.2021 को हुई है। उनके द्वारा लगभग 01 वर्ष 03 माह बाद किस प्रकार यह जानकारी हुई इस संबंध में कोई ठोस कारण भी अंकित नही किया गया है। केवल मात्र यह कथन की उन्हें दिनांक 18.06.2021 जानकारी हुई। विलम्ब को माफ करने का कोई उचित कारण नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के अन्तर्गत धारा 05 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट्स के पिता एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन पत्र को उप–तहसीलदार, मुण्डोता, तहसील–आमेर द्वारा विधि अनुरूप स्वीकृत किया गया है। इसको खारिज करने का कोई सुदृढ़ आधार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत नही करने का कारण अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। उप–तहसीलदार, मुण्डोता से प्राप्त मूल पत्रावली लौटाई जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.12.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर